

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली- 110 001

सं.4/81(1)/इस्टेट/ई.II

दिनांक: 05.06.2015

11.06.2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: आवंटिती के सेवानिवृत्त होने पर सामान्य पूल आवास की प्रतिधारण अवधि के संबंध में

इस कार्यालय के दिनांक 09.10.2014 के पत्रांक 5-1(17)/08-पीडी की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके साथ उक्त विषयक भारत सरकार, संपदा निदेशालय के दिनांक 31.07.2013 के का.ज्ञा. सं.12035/28/96-पूल.II(वाल्सू.II) को पृष्ठांकित किया गया था। इस मामले पर महानिदेशक, सीएसआईआर ने विचार किया है और स्थिति का स्पष्टीकरण निम्नवत है:

“यह कि दिनांक 09.10.2014 के उक्त संदर्भित पृष्ठांकन के माध्यम से सीएसआईआर द्वारा अपनाया गया भारत सरकार, संपदा निदेशालय का दिनांक 31.07.2013 का का.ज्ञा. सीएसआईआर कर्मचारियों पर संपदा निदेशालय द्वारा आवंटित सामान्य पूल आवास के मामलों में ही लागू है न कि परिषद आवास के मामले में। यह परिषद आवास के मामले में तब तक स्वतः लागू नहीं हो सकता जब तक कि सीएसआईआर (आवास आवंटन) नियमावली, 1997 के नियम 1.3 के संबंध में उक्त नियमावली के नियम 17.1 को महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा आशोधित नहीं किया जाता है और यह पूर्व प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है।”

11/06/2015

(अंजुम शर्मा)

अवर सचिव (एलए/एचआर-II)

प्रतिलिपि:

1. सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी
3. महानिदेशक, सीएसआईआर कार्यालय के अवर सचिव
4. संयुक्त सचिव (प्रशा.), सीएसआईआर के निजी सहायक
5. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर की निजी सचिव
6. वरिष्ठ उप सचिव (प्रयोगशाला प्रशासन/एचआर), सीएसआईआर के निजी सहायक
7. वरिष्ठ उप सचिव (के.का.), सीएसआईआर के निजी सहायक
8. प्रमुख, आईटी प्रभाग - इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को सीएसआईआर की वेबसाइट पर अपलोड कराएं।
9. कार्यालय प्रति

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
ANUSANDHAN BHAWAN, 2, RAFI MARG, NEW DELHI – 110001.

No. 4-81(1)/Estate/E.II

Dated: 11.06.2015

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Period of retention of General Pool accommodation on retirement of allottees – regarding.

Attention is drawn to this office letter No. 5-1(17)/08-PD dated 09.10.2014 endorsing GoI, Directorate of Estate OM No. 12035/28/96-Pol.II(Vol.II) dated 31.07.2013 on the subject cited above. The matter has been considered by the Director General, CSIR and position is clarified as under:

“That the GOI, Directorate of Estate OM dated 31.07.2013 as adopted by CSIR vide endorsement dated 09.10.2014 referred to above is applicable only in cases of General Pool accommodation allotted to CSIR employees by Directorate of Estate and not for Council accommodation. The same cannot be made automatically applicable on Council accommodation until and unless Rule 17.1 of CSIR (Residence Allotment) Rules, 1997 is modified by DG, CSIR in terms of Rule 1.3 of the said rules and the same cannot be made applicable retrospectively.”


(Anjum Sharma)

Under Secretary (LA/HR-II)

Copy to:

1. Directors/Heads of all Laboratories/Institutes of CSIR.
2. Sr. CoAs/CoAs/AOs of all the Laboratories/Institutes.
3. US O/o DG, CSIR.
4. PA to Joint Secretary (Admn.), CSIR.
5. PS to FA, CSIR
6. PA to Sr. D.S. (Lab. Admn./HR), CSIR.
7. PA to Sr. D.S. (CO), CSIR.
- ✓ 8. Head, IT Division with the request to upload this on CSIR website.
9. Office copy.